

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग


क्रमांक:- F.6(35)UDH/CMIS/CM Dir./2019


जयपुर,दिनांक:- 01-02-2024

आदेश

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 20.01.2024 को बीकानेर संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक में निम्न निर्देश दिये गये हैं:-“ शहरी सडको का नगर निकायों, नगर विकास न्यास/विकास प्राधिकरणों एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग में स्पष्ट वर्गीकरण किया जावे।” ।


नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के अधीनस्थ समस्त नगर निकायों एवं नगर विकास न्यास/प्राधिकरणों की शहरी सडकों के वर्गीकरण हेतु समस्त संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि उक्त सडको के क्षेत्राधिकार का स्पष्ट वर्गीकरण करने हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग/रिको/एन.एच.ए.आई./कृषि विपणन बोर्ड से आवश्यक समन्वय कर पालना सुनिश्चित करावें।

  
(जुगल किशोर मीणा)  
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय  
नगरीय विकास विभाग

  
(सुरेश कुमार ओला)  
निदेशक एवं संयुक्त सचिव,  
स्वायत्त शासन विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मा. मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
5. आयुक्त, विकास प्राधिकरण जयपुर/जोधपुर/अजमेर/कोटा/उदयपुर।
6. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. आयुक्त, कृषि विपणन बोर्ड, राजस्थान, जयपुर।
8. प्रबन्ध निदेशक, रिको।
9. निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
10. जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान।
11. परियोजना निदेशक, एन.एच.ए.आई., राजस्थान।
12. समस्त उपनिदेशक (क्षेत्रिय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
13. आयुक्त/अधिकाारी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका, समस्त राजस्थान।
14. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त राजस्थान।
15. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नविवि।
16. व.उ. शासन सचिव, नविवि को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।

  
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय